GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

No.2020/AC-II/CC/37/1

RBA.No 16/2020.

The Principal Financial Advisers, All Zonal Railways/Production Units

Sub: Implementation of HRMS.

HRMS is being developed by CRIS. e-SR module has already been rolled out by CRIS to capture the legacy details of an employee. Accounts department is responsible for maintaining the service record of all gazetted officers of Indian Railways.

CRIS has now released two new tabs for entering details of leave and training of Gazetted officers in e-SR module.

PFAs may monitor the progress of data entry in HRMS for gazetted officers. Any requirement in HRMS regarding service record of gazetted officer may also be informed to Board.

(Anjali Goyal)
PED/Accounts
Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 16/2020

सं.2020/एसी-॥/सीसी/37/1

नई दिल्ली, दिनांक: 14/02/2020

प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषयः एचआरएमएस का कार्यान्वयन।

क्रिस द्वारा एचआरएमएस विकसित किया जा रहा है। कर्मचारियों के पिछले विवरण दर्ज करने के लिए क्रिस द्वारा ई-एसआर मॉड्यूल पहले ही विकसित किया जा चुका है। भारतीय रेल के सभी राजपत्रित कर्मचारियों के सेवा संबंधी रिकॉर्ड के रख-रखाव की जिम्मेदारी लेखा विभाग की है।

क्रिस ने अब राजपत्रित अधिकारियों की छुट्टी और प्रशिक्षण संबंधी विवरण दर्ज करने के लिए ई-एसआर मॉड्यूल में दो नए टैब जारी किए हैं।

प्रधान वित्त सलाहकार द्वारा कृपया एचआरएमएस में राजपत्रित अधिकारियों के डाटा एंट्री के कार्य पर निगरानी रखी जाए। एचआरएमएस में राजपत्रित अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड से संबंधित किसी भी सूचना की आवश्यकता के बारे में भी बोर्ड को सूचित किया जाए।

(अंजिल गोयल) प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा रेलवे बोर्ड